



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1144 सन् 2026

सैयद इमामुल रजा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आद्या प्रसाद तिवारी, कैलाश नाथ सिंह

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 32/34 के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2023 में उत्तरदाता संख्या 4-उपजिलाधिकारी, मरियाहूं, जिला जौनपुर के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसकी प्रति रिट याचिका में अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न की गई है, लेकिन आज तक नियमित संख्या भी आवंटित नहीं की गई है, इसलिए रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता संख्या 4 विधि के अनुसार उपरोक्त मामले को पंजीकृत करेगा और उस पर शीघ्रता से उचित आदेश पारित करेगा।
3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को अंगीकरण स्तर पर ही निस्तारित किया जा रहा है।
5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को उत्तरदाता संख्या 4 को उपरोक्त मामले को विधि के अनुसार दर्ज करने और उस पर उचित आदेश पारित करने के निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फ़रवरी 3, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"